

विचार बिन्दु

व्यवसाय समय का यन्त्र है। –नेपोलियन

हमारे चुनाव : कुछ दो टूक बातें!

इतनी सारी विविधताएं और इतना बड़ा देश! हमने अपने लिए गणतंत्र का मार्ग चुना और गणतंत्र की रीढ़ है समय-समय पर होने वाले चुनाव। चुनाव आम नागरिक को यह एहसास कराते हैं कि अपनी हैसियत में वह किसी अन्य से कमतर नहीं है, सब समान हैं और यह भी कि उसे यह हक़ है कि वह अपने प्रतिनिधियों का चयन करे। 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को अंगीकार किया और तदनुसूप 25 अक्टोबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच देश में पहला आम चुनाव सम्पन्न हुआ। इसके बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में समय-समय पर चुनाव होते रहे हैं – कभी लोकसभा के तो कभी राज्यों की विधान सभाओं के, कभी राष्ट्रपति के तो कभी उपराष्ट्रपति के, कभी ज़िला पंचायतों के तो कभी नगर पालिकाओं के। और भी अनेक निकायों के चुनाव होते रहते हैं। कभी पूरी संस्था के चुनाव होते हैं तो कभी कोई उपचुनाव होता है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि देश के किसी न किसी भाग में लगभग हर समय कोई न कोई चुनाव होता रहता है। इधर हमारी सरकार ने एक देश एक चुनाव की आकर्षक लगाने वाली बात हवा में उछाली तो है, लेकिन ऐसा हो ही जाएगा, यह कहना कठिन है। वैसे अगर यह मुमकिन हो जाए कि देश की लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव एक साथ हों, तो न केवल बहुत सारा खर्चा बचेगा, समय की भी भारी बचत होगी।

भारतीय चुनाव तंत्र दुनिया का सबसे विशाल चुनाव तंत्र है। देश के पहले आम चुनाव में मात्र 17.3 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे, जबकि सन् 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में 96.88 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे जिनके लिए साढ़े दस लाख मतदान केंद्र बनाए गए और 1.7 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और 1.8 करोड़ वीवीपेट मशीनों का प्रयोग किया गया। इस चुनाव में मतदान प्रतिशत 67.4 रहा और ख़ास बात यह कि इस बार महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही। जहां 67 प्रतिशत पुरुषों ने मतदान किया, मतदान करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 67.7 रहा। भारत में चुनाव चुनाव आयोग की देखरेख में संपन्न होता है। 1950 में स्थापित भारतीय चुनाव आयोग अब तक 17 लोकसभा चुनाव, सैकड़ों विधान सभा चुनाव और हज़ारों स्थानीय निकाय चुनाव सम्पन्न करवा चुकी है। 1950 में एकल चुनाव आयुक्त की व्यवस्था थी जो 1989 से बहु सदस्यीय चुनाव आयोग में परिवर्तित हो गई। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है और यह कहा जाता है कि यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।

जब हमारे यहां चुनाव होने लगे, प्रारम्भ में सब कुछ काफी हद तक ठीक था। हमारा यह पहला अनुभव था इसलिए कुछ चूकें भी हुईं, और उन्हें सुधारा भी गया। 1951 में जब से हमारे देश में चुनाव होने लगे हैं, 2025 तक आते-आते चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। निश्चय ही ये बदलाव प्रक्रिया को अधिक सहज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इन बदलावों की आलोचना नहीं हुई है। सबसे बड़ी आलोचना तो इधर के वर्षों में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर हुई है। यह भी कहा गया है कि जब दुनिया के अनेक उन्नत देश भी ईवीएम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हम ही क्यों ऐसा करते रहने की ज़िद पर अड़े हुए हैं। स्वाभाविक है कि सरकार इसके पक्ष में है और वह अपनी तरफ से इसका जवाब भी करती रहती है। हमारे चुनाव लगातार खर्चीले होते गए हैं। वर्तमान में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए व्यय सीमा 95 लाख और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपये है। चुनाव के बाद हर प्रत्याशी अपने खर्च का विवरण प्रस्तुत करता है लेकिन चुनाव प्रचार पर एक नज़र डालते ही यह बात साफ़ हो जाती है कि हर प्रत्याशी इस व्यय सीमा से कई गुना ज़्यादा खर्च करता है। सच तो यह है कि इतनी राशि में तो एक विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव भी शायद नहीं लड़ा जा सकता है। आज जिस तड़क-भड़क के साथ चुनाव लड़े जाते हैं उसे देखते हुए इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई सामान्य व्यक्ति तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। उसके जीतने की तो बात ही क्या की जाए! एडीआर की

हम किसी को नहीं चुनते हैं, और जो चुना जाता है उसे हमसे कोई लेना-देना नहीं होता है! पहले प्रत्याशी कम से कम पांच साल में एक बार मतदाता के द्वार पर तो जाता था, अब तो उस औपचारिकता को भी तिलांजलि दे दी गई है। अब चुनाव वाकई ‘लड़े’ जाते हैं और आम नागरिक इस लड़ाई से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता है! हमें विचार करना होगा कि यह स्थिति कैसे बदले और कैसे चुनाव में आम जन की भूमिका बड़े!

हमारे देश के चुनावों को लेकर धनबल की ही नहीं, बाहुबल की भी चर्चा कम नहीं होती है। हमारे लगभग 29 प्रतिशत सांसदों पर हत्या, बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधों के आरोप हैं। कम मतदान एक और समस्या है जिसके कारण बहुत सारी विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं। यह भी देखा गया है कि सम्पन्न जन मतदान प्रक्रिया से प्रायः दूरी बरतते हैं। मतदाताओं को ललचा कर या उन पर दबाव डाल कर मतदान कराने की चर्चा हमेशा ही होती है। चुनाव से ठीक पहले सरकारें अपना खज़ाना खोल देती हैं। पहले जबरन वोट डाल दिए जाते थे, फिर बूथ कैप्चरिंग होने लगी और अब ईवीएम से छेड़छाड़ की चर्चाएं होती हैं। सत्तारूढ़ दल जहां इन चर्चाओं को सिरे से खारिज करता है, प्रतिपक्ष अपनी बात के समर्थन में अनेक तथ्य व प्रमाण प्रस्तुत करता है। मतदातासूची में छेड़छाड़, निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन आदि को लेकर भी अनेक प्रकार की चर्चाएं सदा ही होती हैं। इन सारी चर्चाओं का मूल यही है कि सत्तारूढ़ दल अपना लाभ-हानि देखकर यह सब करता है।

भारत में चुनाव मुख्यतः दलगत आधार पर होते हैं। पहले हर दल चुनाव से पहले अपना घोषणापत्र जारी करता था जिसमें वह बताता था कि अगर उसे सत्ता मिल गई तो वह क्या-क्या करेगा। वैसे तो तब भी किसी दल पर यह बाध्यता नहीं थी कि वह सत्ता में आने पर पहले किए गए अपने वादों को पूरा करे ही, कम से कम प्रतिपक्षी उससे जवाब तलब तो किया ही करते थे। अब आहिस्ता-आहिस्ता दलों ने चुनाव घोषणा पत्रों को अनावश्यक मान लिया है। या तो वे इन्हें जारी करते ही नहीं और अगर करते भी हैं तो न तो वे और न उनके विरोधी इनको कोई ख़ास तवज़्ज़ोह देते हैं। चुनाव वादों और घोषणाओं की बजाय व्यक्तिगतों को केंद्र में रखकर लड़े जाने लगे हैं। अब चुनाव सिद्धांतों और मूल्यों की बजाय चेहरों पर लड़े जाने लगे हैं। यहां तक कि देश का सबसे बड़ा दल भी चुनाव केवल एक चेहरे को आगे करके लड़ता है।जहां तक चुनाव से पहले किए गए वादों की बात है दलों को अपने वादों को नकारने में या उन्हें गुमला कह कर खारिज कर देने में कोई झिझक नहीं होती है। यह चालाकी भी बरती जाती है कि मुख्य नेता को बजाय छूटमैया नेताओं से वादे करवाए जाएं और जीत जाने पर बड़े सहज भाव से कह दिया जाए कि हमने तो ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। आज भले ही सोशल मीडिया और सुलभ तकनीक के दम पर हर कदम का रिकॉर्ड रखा जा और उसे दिखा पाना सम्भव हो गया है, राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं ने अपनी चमड़ी इतनी मोटी कर ली है कि वे किसी बात से लज्जित नहीं होते हैं।

अभी जैसा मैंने कहा, अब चुनाव घोषणाओं पर कम और चेहरों पर ज़्यादा लड़े जाने लगे हैं। और ये चेहरे जिस तरह की बातें करते हैं उनसे हम केवल लज्जित ही हो सकते हैं। एक दूसरे के प्रति अपभाषा का प्रयोग करना, फूहड़ भाषा बरतना, मिथ्या इलज़ाम लगाना, चीजों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना अपने वद और हैसियत का अनुचित उपयोग करना अब अपवाद न रहकर आम हो गया है। चुनावी आचार संहिता को खुले आम ध्वंजियाँ उड़ाई जाती हैं। भले ही चुनाव आचार संहिता मतदान प्रारंभ होने से 48 घण्टे पहले प्रचार बंद करने की बात कहे, जो सतानशीन हैं वे पूरी बेशर्मी से इस व्यवस्था को रेंगा दिखाते हैं। उनके सामने बस एक ही लक्ष्य रहता है – जीत हासिल करना। अब नैतिक अनैतिक की सीमा रेखा धुँसल ही नहीं अदृश्य हो गई है।

आज हम निस्संदेह इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम हर पांचवें साल अपनी सरकार चुनते हैं, यह एक दुखद यथार्थ है कि सच्चे अर्थों में लोकतंत्र अभी हमारी पहुँच से बाहर है। हम किसी को नहीं चुनते हैं, और जो चुना जाता है उसे हमसे कोई लेना देना नहीं होता है! पहले प्रत्याशी कम से कम पांच साल में एक बार मतदाता के द्वार पर तो जाता था, अब तो उस औपचारिकता को भी तिलांजलि दे दी गई है। अब चुनाव वाकई ‘लड़े’ जाते हैं और आम नागरिक इस लड़ाई से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता है! हमें विचार करना होगा कि यह स्थिति कैसे बदले और कैसे चुनाव में आम जन की भूमिका बड़े!

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)



रामनिवास बैरवा

गतांक से आगे जारी...

जल्दी ही एक पखवाड़े के अन्दर ही 12 जून, 1929 को असेंबली बम के मामले का ड्रामा खत्म हुआ। भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्रकैद की सजा दी गयी। ‘इंडिया लॉ जर्नल’ में प्रकाशित एक लेख के अनुसार सरकारी गवाहों की पढ़ाया गया था कि “अदालत में क्या बोलना है जिन्हें भगतसिंह ने गलत साबित कर दिया कि बम फैकते समय उसके पास कोई पिस्तौल नहीं थी, जबकि सरकारी गवाह कह रहे थे कि भगतसिंह ने दो-तीन राउंड गोлияं चलाई थी।”

भगतसिंह (आजीवन कैदी न. 47) ने लाहौर जेल से एक पत्र जिसमें 26 जून, 1929 से शुरू होने सांडर्स मामले की लाहौर में सुनवाई का हवाला देते हुए कि वे मियांवाली से कैसे अपने कैदों के लिए किसी वकील से बात कर सकेंगे। और दूसरे पत्र में इंस्पेक्टर जनरल जेल, लाहौर को लिखा कि उन्हें जेल में अन्य साधारण अपराधियों के साथ रखा जाकर घंटिया खाना, चावल दाल, रोटियां दी जा रही हैं, जबकि उन्हें, एच. एस. आर. ए. के क्रांतिकारियों को राजनैतिक कैदी का दर्जा देकर अच्छा खाना और अच्छी विलासिता दी जानी चाहिए साथ ही पढ़ने के लिए पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध करवाई जाये। इन मार्गों को लेकर वे 15 जून, 1929 से भूख हड़ताल पर थे।

असेंबली बम केस का फैसला 12 जून, 1929 को ही दिया जा चुका था। अब लाहौर के सांडर्स हत्या के मामले में 24 क्रांतिकारियों के नाम मुकदमे में लिये गये उनमें से 16 क्रांतिकारियों पर मुकदमा शुरू किया गया। इनमें प्रमुख नाम थे- सुखदेव, भगतसिंह, किशोरीलाल, देसराज, प्रेमदत्त, जयदेव कपूर, विश्वकर्मा, महावीर सिंह, यतीन्द्रनाथ दास, अजय कुमार घोष, राजगुरु, कुंदनलाल और कमलनाथ तिवारी। बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ केस वापस ले लिया गया।

17 दिसम्बर, 1928 को सांडर्स हत्या (लाहौर षड्यंत्र) के मामले में चन्दू शेखर आजाद, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, जतीन्द्र नाथ और राजगुरु को शामिल होना बताया गया।

उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया। 08 अप्रैल, 1929 के दिन असेंबली में बम फैकने के सिलसिले में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आत्म-समर्पण करके गिरफ्तार दी। 12 जून, 1929 को बम फैकने के मामले में दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

लाहौर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैफुद्दीन किचलू, मोहम्मद अलम और गोपीचंद भागव ने 30 कैदियों की मांगों के समर्थन में जनमत जगाने का काम पूरी लगन से किया। उसके परिणामस्वरूप पूरे हिन्दुस्तान में 30 जून, 1929 को ‘भगत सिंह दिवस’ के रूप में मनाया गया। लाहौर षड्यंत्र केस में अदालती कार्यवाही शुरू करने से पहले भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को भी मियांवाली जेल से लाहौर जेल ले जाया गया।

गांधीजी के अहिंसा, असहयोग, बहिष्कार और अनशन के मार्ग से असहमत इन नौजवान क्रांतिकारियों ने गांधी के अस्त्र ही से अंग्रेज न्याय व्यवस्था को खोखला साबित कर दिया था। उनकी भूख हड़ताल के कारण कैदियों को अदालत में उपस्थित नहीं किया जा सकता था। दूसरी तरफ़ लार्ड इरविन को जल्दी ही उन नौजवानों को मुत्युदंड देना था। इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए इरविन ने एक अध्यादेश जारी करके क्रिमिनल प्रोसीजर को 1898 में नई धारा 540-बी जोड़ी जिससे कैदियों की अनुपस्थिति में भी अदालती कार्यवाही को पूरा किया जा सकता था। जब इन अध्यादेशों के बिल शीतकालीन राजधानी शिमला में केंद्रीय असेम्बली के सामने 12 सितम्बर, 1929 को रखे गये तो तब इसे साधारण जनता ने ‘भूख हड़ताल बिल’ मान दिया गया। बिट्टल भाई पटेल सदन के अध्यक्ष थे। बिल विरोध में अन्य सदस्य मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और डॉ. एम. आर. जयकर ने पूरी तैयारी के साथ बोला था।

उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत विशेष ट्रिब्यूनल बनाया जिसके सदस्य थे- जस्टिस जे. के. कोल्डट्रीम (अध्यक्ष), जस्टिस आगा हेदर और जस्टिस जी.सी. हिंल्टन। लाहौर के पुंज हाउस में 5 मई, 1930 से ट्रिब्यूनल में मुकदमें की कार्यवाही शुरू की गई। भगतसिंह ने ट्रिब्यूनल को वैधानिकता, उसके गैर-कानूनी होने संबंधी तर्क पेश करने के लिए 15 दिनों का समय मांगा, जो नहीं दिया गया। 12 मई, 1930 को भगतसिंह और उनके साथियों को हथकड़ियां डालकर ट्रिब्यूनल के सामने बस से लाया गया। हथकड़ियां खोलने की मांग पर जस्टिस जी. सी. हिंल्टन उन्हें ने जबर्दस्ती बस से उतारने के आदेश दिये, जिसकी प्रतिक्रिया में भगतसिंह आदि ने

अदालती ट्रिब्यूनल का बहिष्कार कर दिया, तब ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने उन्हें लाठीचार्ज से पीटने का आदेश दिया। भगतसिंह को उपस्थित जनता और संवाददाताओं के सामने लाठीचार्ज और जुलों से मारा गया। भारतीयों को गाली देने पर भगतसिंह ने जस्टिस आगा हैदर से मुखातिब होकर उनके भारतीय होने पर सवाल उठाया और कहा कि “ऐसी मानसिक स्थिति वाले जज कैसे न्याय करेंगे? तब जस्टिस आगा हैदर ने उस दिन की कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उस घटना की दुनियाभर में चर्चा हुई। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सारे भारत में एक बार फिर ‘भगतसिंह दिवस’ मनाया गया। इससे बौखलाकर वायसराय ने ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस कोल्डस्ट्रीम को लम्बी छुट्टियों पर भेज दिया तथा ट्रिब्यूनल का एक सप्ताह में ही भंग करना पड़ा। 21 मई, 1930 को ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन किया गया जिसमें जस्टिस जी. सी. हिंल्टन को अध्यक्ष बनाया जो पहले ट्रिब्यूनल में सदस्य थे, तथा दो नये सदस्य जस्टिस जे. के. टैप और जस्टिस अब्दुल कादिर बनाये गये।”

जी. टी. एच. हेमिल्टन हाईडिंग, लाहौर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने अपने बयान में बताया पंजाब के गवर्नर के मुख्य सचिव के खास आदेशों के अनुसार एफ. आई. आर. लिखी गई थी, जिसके विवरण के बारे में हेमिल्टन हाईडिंग को कोई जानकारी नहीं थी। सरकार मुख्य रूप से सरकारी गवाह एच. एस. आर. ए. से जुड़े कार्यकर्ता पी. एन. घोष, हंसराज वारा तथा जय गोपाल की गवाहियाँ पर निर्भर रहा।

30 सितम्बर, 1930 को मुकदमें की कार्रवाई खतम की गई। 07 अक्टूबर, 1930 को 300 पृष्ठों का निर्णय लिखा गया जिसमें भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु को सांडर्स की हत्या का दोषी ठहराया गया। बाकी अभियुक्तों में से अजय घोष, जतीन्द्र नाथ साय्याल और देसराज को बरी किया गया। कुंदनलाल को सात साल की जेल की सजा दी गई तथा अन्य सात, किशोरीलाल, महावीर सिंह, बिजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, गया प्रसाद, जयदेव तथा कमल नाथ तिवारी को आजीवन कारावास की सजा दी गई।

उल्लेखनीय है कि एक मई, 1930 का अध्यादेश सिर्फ छः महिने तक ही प्रभावी रहने वाला था, यदि उसका बिल केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पारित नहीं किया जाता, और वह सम्भव भी था, अतः छः माह के अन्दर-अन्दर, यानि कि 31 अक्टूबर, 1930 तक हर हालत में ट्रिब्यूनल को वह मुकदमा खतम करना था, और जल्दबाजी इतनी कि उसी छः माह की अवधि में भगतसिंह को मृत्युदंड भी देना था, सुखदेव और

राजगुरु को तो अपने फैसले की दुर्भावना को छुपाने के लिए सरकार के द्वारा शामिल किया गया था।

..... और 07 अक्टूबर, 1930 को ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुना दिया- भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर तब तक लटकाया जाये जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाये।

इसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ट्रिब्यूनल ने 07 अक्टूबर, 1930 को ही भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव को 17 अक्टूबर, 1930 को फांसी पर लटकाकर मौत की सजा देने का ‘डेथ वारंट’ भी जारी कर दिया गया था- वह इस प्रकार से था-

मृत्युदण्ड पर अमल का वारंट अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 381, 1930 के अध्यादेश सं. छः की धारा 8 एवं छः, 1930 के अध्यादेश सं. छः के तहत गठित लाहौर षड्यंत्र केस ट्रिब्यूनल की अदालत में।

लाहौर सेन्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेंट के लिए

भगतसिंह वल्ट किशनसिंह, निवासी खवासरियाँ, लाहौर षड्यंत्र केस के कैदियों में से एक है, को 05 मई, 1930 को शुरू होकर 7 अक्टूबर, 1930 को खतम हुए मुकदमें में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 और धारा 302 के तहत और विस्फोटक पदार्थ कानून की धारा 5 के साथ पठित उस कानून की धारा 4(बी) और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 एफ के तहत अपराध का दोषी पाया गया है और एतद्वारा मृत्युदण्ड दिया जाता है।

इस आदेश द्वारा आपको, उपरोक्त सुपरिण्टेण्डेंट को, अधिकृत किया जाता है और अपेक्षा की जाती है कि इस आदेश पर अमल करते हुए 17 अक्टूबर के दिन लाहौर में उपरोक्त भगतसिंह को गर्दन से तब तक लटकाया जाये तब तक उसकी मृत्यु न हो जाये, और आदेश पर अमल के प्रमाणमात्र के साथ इस वारण्ट को हाईकोर्ट में वापस भेज दें। हमारे हाथों से तथा अदालत की मुहर के साथ आज 7 अक्टूबर 1930 को दिया गया।

ट्रिब्यूनल की मुहर ह. ट्रिब्यूनल के सदस्य ह. ट्रिब्यूनल के सदस्य ह. ट्रिब्यूनल के सदस्य

जब 17 अक्टूबर, 1930 को लाहौर की जेल में फांसी दिये जाने का वारण्ट जारी किया गया था, तो 17 अक्टूबर, 1930 को फांसी नहीं दिये जाने पर उपरोक्त डेथ वारंट अपने आप ही निष्प्रभावी हो गया था। तब उन तीनों को फांसी की सजा दिया जाना कानून-सम्मत नहीं था, जब तक कि 23 मार्च, 1931 को मृत्युदण्ड देने का नया डेथ वारंट जारी कर दिया गया हो और वह जारी भी नहीं किया गया था।

लेकिन कांग्रेस के बैरिस्टर्स को फौज भी इस बात को जानते हुए भी चुप रही और उनको फांसी दिये जाने का इंतजार करते रही।

भगतसिंह ने अपने मित्रों को 22 मार्च, 1931 को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक महत्व को रेखांकित किया था-

....स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझमें भी होनी चाहिये, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। लेकिन मैं एक शर्त पर जिन्दा रह सकता हूँ, कि मैं कैद होकर या पाबन्द होकर जीना नहीं चाहता।

मेरा नाम हिन्दुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है- इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हर्गिज नहीं हो सकता।

..... लेकिन दिलेराना ढंग से हैंसते-हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिन्दुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगतसिंह बनने की आरजूकिया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों का तादाद इतनी बढ़ जायेगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी।

आपका साथी - भगतसिंह भारत के सरकारी रिकार्ड इतिहास में भगतसिंह आज भी एक आतंकवादी है, आजाद भारत की सरकार भगतसिंह को आज तक राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक कैदी के रूप में मान्यता नहीं दे रही है।

लेकिन, भारत सरकार की नीतियों के विपरीत भगतसिंह सीमाओं के पार आज भी जनता को प्रेरणा दे रहे है। उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर पाकिस्तान के एक वकील इमियाज राशीद कुरैशी ने लाहौर हाईकोर्ट में भगतसिंह के खिलाफ गैरकानूनी और अनियमितताओं को दर्शाते हुए एक रिटपिटिशन दाखिल की है। वकील कुरैशी पाकिस्तान के लाहौर में “भगतसिंह मेमोरियल फाउंडेशन” चलाते हैं। अपने निरन्तर प्रयासों के बाद कुरैशी ने भगतसिंह के विरुद्ध सांडर्स मामले के एफ.आई.आर. सहित सभी दस्तावेज प्राप्त कर सके हैं ताकि 87 वर्ष पुराने मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकें। (कुरैशी के प्रयास 2017 के है।)

इमियाज राशीद कुरैशी को उम्मीद है कि कोर्ट यदि भगतसिंह के खिलाफ दिये गये फैसले को रद्द कर देती है तो ब्रिटिश क्राउन पर दबाव डाला जा सकता है कि 94 साल पहले फांसी दे दिये गये भगतसिंह के खिलाफ शर्मनाक मुकदमें और न्यायिक हत्या के लिए एफ।आई।आर.

–रामनिवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

बिजयनगर में रेगर समाज का प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन सम्पन्न



रेगर समाज के प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन में 13 जोड़े दाम्पत्य बंधन में बंधे।

बिजयनगर, (निसं)। देवउठनी एकादशी के पवन अवसर पर अखिल भारतीय रेगर समाज सुधारक समिति परगना मसूदा के तत्वावधान में आयोजित प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन में 13 जोड़े दाम्पत्य सृज में बंधे।

सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन मां गंगा छात्रावास सिंधी कॉलोनी में किया गया। मां गंगा छात्रावास परिसर से रिवार प्रातः वर-वधुओं की सामूहिक बिंदोरी निकाली गई। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रेगर समाज के आदर्श संत रविदास महाराज के जयकारों के साथ बड़ी संख्या में समाज के युवा बुजुर्ग मातृशक्ति बिंदोरी में शामिल हुये। बिजयनगर में रेगर समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक अत्यंत सार्वजनिक पहल की गई, जिसने सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बना दिया। सामूहिक विवाह सम्मेलन के 13 नव विवाहित जोड़ों को तत्काल विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र मिला। नवविवाहित जोड़ों ने अनूठी सेवा का लाभ उठाया। सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति ने पूरा खर्च

उठाया। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारु बनाने में सम्मेलन समिति अध्यक्ष सिताराम पवार का महत्वपूर्ण योगदान से बनने लगेगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
व्यावहारिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। अटक हूए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
घर-परिवार में अतिथियों के आमनन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। आज पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कर्क
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हूए कार्य बनने लगेगे। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित परामर्श मिलेगा।

मकर
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले वरदेश प्राप्त होगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
चन्द्रमा अशुभ भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

कुंभ
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक कारणां से अटक हूए कार्य बनने लगेगे। व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।

कन्या
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजना/कार्य बनने लगेगे। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



पंडित अनिल शर्मा

राशिफल

सोमवार 3 नवम्बर, 2025

कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2082, उत्तरा भाद्रपद वंश्वर दिन 3:06 तक, हर्षण योग सायं 6:39 तक, कोलव करण दिन 3:37 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-तुला, चन्द्रमा-मीन, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज रविवोग दिन 7:32 से सायं 3:06 से आरम्भ होगा। आज सोम प्रदोष व्रत, राधा वल्लभ पाटोत्सव, पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय है 8:06 तक, शुभ 9:26 से 10:48 तक, चर 11:33 से 2:55 तक, लाभ-अमृत 2:55 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 6:42, सूर्यास्त 5:39 तक

मेष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होगा। अटक हूए व्यावसायिक कार्य बनने लगेगे। नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संपातित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक
परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच-विचार हो सकता है। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक खर्च संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।